रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 1973/श्रावण 17, 1895
No. 277] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 1973/SRAVANA 17, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August 1973

S.O. 426(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from Payment of Additional Excise Duty on Rags of Cotton, Rayon and Artificial Silk Fabrics) Rules, 1973.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st March, 1973.

2. **Exemption from payment of duty.**—Rags, that is to say, (i) bona fide cut-pieces of cotton, rayon or artificial silk fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples, and (ii) cut prices of damaged or sub-standard cotton, rayon or artificial silk fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953).

[No. F. 4/24/73-Tex(c) E.I.(H & P.).]

MANI NARAYANASWAMY, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1973

का० आ० 426 (अ).—खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ड०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**— (1) इन नियमों का नाम खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (सूती, रयान तथा कृत्रिम रेशमी कपड़ों के टुकड़ों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1973 है।

(2) ये 1 मार्च, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 **शुल्क के संदाय से छूट**.—टुकड़े अर्थात् (i) सूती कपड़े, रेयान या कृत्रिम रेशमी कपड़ों के ऐसे वास्तविक कटपीसों को जिनकी लम्बाई जब कपड़ की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो तो 23 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 45 सन्टीमीटर से कम हो, और जिनकी लम्बाई जब कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो तो 23 सन्टीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेन्टीमीटर से कम हो और जो विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण सम्मिलित है) या रैंकिंग या नमूने निकालने के सामान्य क्रम में बने हों और (ii) क्षतिग्रस्त या सबस्टैंडर्ड सूती कपड़े, रयान या कृत्रिम रेशमी कपड़ों के ऐसे कटपीसों को जिनकी लम्बाई जब कपड़े की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो तो 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो जिनकी लम्बाई जब कपड़े की चौड़ाई एक मीटर से कम हो तो 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम हो खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

[सं० फा० 4/24/73-टैक्स (सी) ई०आई० (एच०एंड पी०)]

मणि नारायणस्वामी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973